बुनकरों की आवाज हथकरघा बोर्ड के साथ खत्म ?

आदिति फडणीस

देश में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाए जाने से ठीक एक हफ्ते पहले अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड (एआईएचबी) को 27 जुलाई की एक अधिसूचना के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अधिसूचना में कहा गया कि यह कदम सरकार के न्यूनतम हस्तक्षेप और अधिकतम प्रशासन के मद्देनजर उठाया जा रहा है। इस कदम के क्या निहितार्थ हैं, इसके बारे में पूछे जाने पर एक पूर्व कपड़ा सचिव ने कहा, 'क्या कोई हथकरघा बोर्ड भी था? वास्तव में था? इसे कब समाप्त कर दिया गया?'

हालांकि सक्रिय कार्यकर्ता हथकरघा बोर्ड को चाय-समोसा वाली एक जगह बताते हैं जो मूल रूप से द्वितीय श्रेणी के कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों से सहानुभूति रखने वालों के काम के लिए था। कपड़ा मंत्रालय में काम कर चुके एक अफसरशाह ने कहा, 'यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता मिल जाता था। दिल्ली की यात्रा हो जाती थी। लेकिन अगर इसके सदस्यों ने कोई जरूरी बातें भी कही तो उनके सुझाव हमेशा नीति में शामिल नहीं किए जाते थे।'

दस्तकार की लैला तैयबजी का एक अलग ही नजरिया है। वह कहती हैं, 'कई सालों से एआईएचबी एक आधिकारिक मंच बना रहा जहां बुनकर और शिल्पकार अपनी आवाज और विचार सीधे व्यक्त कर सकते थे। बोर्ड एक ऐसी जगह था जहां इस क्षेत्र के प्रतिनिधि काफी तादाद में मौजूद थे और उन्हें इस क्षेत्र से जुड़ी नीति बनाने और इससे खर्च में सरकार को सलाह देने का अधिकार था। यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग सरकार के साथ सीधे संवाद कर सकते थे या फिर अपने प्रशासन का हिस्सा हो सकते थे, अब उनकी संख्या कम होती जा रही है जो चिंताजनक है।' खादी और चंदेरी तैयार करने और उसे बाजार में लाने के लिए मध्य प्रदेश के बुनकरों को एक साथ लाने वाले समूह खादिजी को चलाने वाले उमंग श्रीधर कहते हैं, 'भारत में 1.1 करोड़ हथकरघा बुनकर हैं। इस संस्था को खत्म करने से पहले कुछ लोगों के साथ विचार-विमर्श करने पर सरकार का क्या जाता? किसी चीज को खत्म करना तो आसान है लेकिन उसे बनाना मुश्किल है।'

हथकरघा क्षेत्र का कारोबार 100,000 करोड़ रुपये तक का है जो कई क्षेत्रों से अधिक है

हथकरघा नीति के विशेषज्ञ डी नरसिम्हा रेड्डी कहते हैं, 'इस संस्था को खत्म करने का कारण न्यूनतम सरकार और अधिकतम प्रशासन को बताया गया है और सरकारी निकायों को व्यवस्थित और तार्किक बनाने की जरूरत की बात की गई है। लेकिन यह तर्क केवल सुनने में अच्छा है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड सरकार और हथकरघा बुनकरों के बीच एकमात्र संस्थागत कड़ी था।' वह कहते हैं, 'इस पर मुश्किल से हर साल एक लाख रुपये खर्च होता था। हथकरघा क्षेत्र का कारोबार 100,000 करोड़ रुपये तक का है जो सीमेंट और कृषिरसायन जैसे कई औद्योगिक क्षेत्रों से कहीं अधिक है। जरूरत इस बात की थी कि नीति बनाने, निगरानी, समीक्षा और जन सुनवाई से जुड़े कार्यों की जरूरतों को देखते हुए बोर्ड का पुनर्गठन किया जाता।' इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या प्रमाणन की है। आखिर 'हथकरघा' और 'खादी' में क्या-क्या शामिल होता है? क्या हथकरघा से बने सभी उत्पाद खादी हैं? एचआईएचबी को हथकरघा के प्रमाणीकरण का कोई अधिकार नहीं था। यह काम कपड़ा मंत्रालय की एक समिति के द्वारा किया जाता था। खादी एवं ग्रामोद्योग निगम (केवीआईसी) किसी कपड़े को खादी के रूप में प्रमाणित करने वाली एकमात्र संस्था है।

लेकिन खादी और हथकरघा उत्पादकों की दुनिया में उस वक्त हलचल मच गई जब 2018 में केवीआईसी ने बंबई उच्च न्यायालय में मशहूर हथकरघा एवं हस्तशिल्प की खुदरा विक्रेता कंपनी फैबइंडिया के खिलाफ एक मामला दर्ज कराते हुए 'अवैध रूप से' इसके ट्रेडमार्क 'चरखा' और खादी के नाम के साथ परिधान बेचने के लिए 525 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की। इसने फैबइंडिया से 'बिना शर्त माफी' के साथ ही लिखित में यह मांग की कि वह खादी ट्रेडमार्क वाले किसी भी खादी या इससे जुड़े उत्पादों के लिए कोई सौदा नहीं करेगा। फैबइंडिया ने इसे मान लिया। लेकिन कार्यकर्ता कहते हैं कि कंपनी ने जो कपड़े खरीदे थे, उनमें से ज्यादातर केवीआईसी से थे। श्रीधर कहते हैं, 'कई डिजाइनर जो हमसे फैब्रिक खरीदते हैं वे सावधान हो गए जबकि हमारे पास खादी प्रमाणीकरण है। क्या होगा अगर कल केवीआईसी हमारे खिलाफ अदालत में मामला दायर करते दे या फिर डिजाइनरों के खिलाफ मामला दायर कर दे?'

हालांकि तथ्य यह है कि एक बार प्रमाणपत्र हासिल करने के बाद इस बात की शायद ही कोई जांच होती है कि बेचा गया उत्पाद खादी है, हथकरघा है या इसका उत्पादन करने के लिए पावरलूम का इस्तेमाल किया गया है या नहीं।

संघर्ष की गुंजाइश यहीं से बनती है। श्रीधर कहते हैं, 'एक हथकरघा कारीगर हाथ से बुने कपड़े बनाने के लिए कई दिनों तक काम करता है। लेकिन अगर वह पावरलूम का इस्तेमाल आंशिक रूप से उसी कपड़े के उत्पादन के लिए कहता है तब लागत स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। इसी वजह से हथकरघा प्रतिस्पर्धा में नहीं रह पाता है।' इस क्षेत्र की विशेषज्ञ शिखा त्यागी कहती हैं कि पिछले छह साल से एआईएचबी की कोई बैठक नहीं हुई है। वह यह भी कहती हैं कि हथकरघा क्षेत्र कई मंत्रालयों में फैला हुआ है और इसकी देखरेख की जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का अधिकार हथकरघा के एक हिस्से पर है। इस क्षेत्र का कुछ हिस्सा कपड़ा मंत्रालय के अधीन आता है और कुछ ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। इसके अलावा केवीआईसी का अपना साम्राज्य है। नितिन गडकरी जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे तब पार्टी ने घोषणा की थी कि वह हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए एक अलग मंत्रालय बनाएगी। इसे 2014 में भाजपा के घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया था। ऐसा करने के बजाय भाजपा सरकार ने कारीगरों की आवाज को ध्यान में रखने वाली एकमात्र संस्था को ही खत्म कर दिया है।

हस्तशिल्प और हथकरघा बोर्ड का वजूद खत्म

- अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना 1952 में पुपुल जयकर ने की थी और इसका संचालन कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने किया था
- अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का गठन 23 जनवरी 1992 को हुआ था। इन सालों में इसका पुनर्गठन समय-समय पर किया गया। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के आधिकारिक सदस्य और हथकरघा उद्योग के गैर सरकारी सदस्य शामिल थे
- इसके भंग होने से पहले इसमें 114 सदस्य थे जिनमें अध्यक्ष, सह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 14 आधिकारिक सदस्य, सदस्य सचिव सहित आठ संस्थागत सदस्य और 88 गैर सरकारी सदस्य शामिल हैं
- पावरलूम बोर्ड और हस्तशिल्प बोर्ड भी समाप्त हो गया है

राजस्थान का सियासी संकट टला ?

आदिति फडणीस

राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में बनी गतिरोध की स्थिति शायद खत्म हो गई होगी, इस बात की अटकलें तब लगनी शुरू हुईं जब राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद करने के बाद से पहली बार पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। ऐसा लगता है कि विधानसभा में 14 अगस्त को विश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा से पहले ही मतभेद खत्म करने की कोशिश हो सकती है।

हालांकि राहुल और सचिन की इस बैठक में वास्तव में क्या हुआ उसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है लेकिन कांग्रेस के सूत्रों ने स्पष्ट कर दिया कि सचिन पायलट समूह ने गहलोत के मुख्यमंत्री पद पर रहने को लेकर जो एतराज जताया था उस बात को तवज्जो नहीं दी जाएगी। हालांकि गहलोत के खिलाफ सचिन की विशेष शिकायतों के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया जा सकता है।

सचिन पहले ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त हो चुके हैं और सत्ता संघर्ष में उनकी फजीहत होती

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट के बागी सुर थमने के आसार *फाइल फोटो*

ही दिख रही है। उन्हें उपमुख्यमंत्री पद वापस मिल सकता है। हालांकि गहलोत को बेमन से इस बात को स्वीकारना पड़ेगा। गहलोत उम्मीद कर रहे थे कि वह पायलट से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे और कांग्रेस से उनके निष्कासन के लिए स्थितियां बना रहे थे। अब उन्हें एक ऐसे आदमी को गले लगाना होगा और जो पार्टी में सहयोगी तो है लेकिन उनकी सख्त आलोचना भी करता है। दोनों नेताओं के बीच विश्वास की कमी हमेशा से ही बनी रही जितनी आज है। ऐसे में अगर कोई पेशकश भी की जानी है तो इसमें बातचीत भी कठिन होने के आसार हैं। पायलट के पक्ष के 19 विधायकों का गुट न तो बढ़ा है और न ही उनकी बगावत के बाद कम ही हुआ। लेकिन अगर सभी 'असंतुष्ट' विधायक गहलोत सरकार के साथ अपना गतिरोध खत्म कर लेते हैं तब भी सचिन एक ऐसे समूह का समर्थन खो देंगे जो व्यापक रूप से उनके प्रति सहानुभूति रखता था।

राहुल के साथ उनकी मुलाकात और मौजूदा गतिरोध में विराम के संकेत इस वजह से भी मिल रहे है कि उनके कई विधायकों में असंतोष बढ़ने लगा, विशेष रूप से तब जब विपक्षी दल भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया कि पार्टी उनके बचाव में कोई भूमिका नहीं निभाएगी। ऐसी स्थिति में अधर में लटके रहने की चिंता के बीच विधायकों ने सीधे कांग्रेस नेतृत्व से संपर्क साधने की कोशिश की। इसकी वजह से सचिन के पास कोई विकल्प नहीं बचता था सिवाय इसके कि वह फिर से पार्टी के खेमे में जमे रहें। हालांकि मौजूदा बगावत खत्म हो सकती है लेकिन भविष्य में इसका खतरा बना रहेगा। इसकी संभावना कम ही है कि सचिन की महत्त्वाकांक्षा सीमित हो जाए। लेकिन पार्टी नेतृत्व गहलोत के बेटे वैभव से सचिन को मिल रहे खतरे का समाधान कर सकता है। हालांकि यह सवाल अब भी बरकरार है कि क्या यह सचिन के लिए पर्याप्त होगा। फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस सरकार का संकट भले ही टल सकता है लेकिन तनाव दूर नहीं होगा।

कोविड से जंग में बहुमत मोदी के संग

बीएस संवाददाता

लॉकडाउन के दौरान करीब 71 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की मासिक आय में पहले के मुकाबले गिरावट आई और करीब 35 प्रतिशत परिवारों को कई दफा या कभी-कभार पूरे-पूरे दिन भोजन के बिना रहना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद इनका एक बड़ा हिस्सा मोदी सरकार द्वारा कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए उठाए गए कदमों से संतुष्ट है।

लोकनीति-सीएसडीएस के साथ मीडिया प्लेटफॉर्म गांव कनेक्शन द्वारा किए गए ग्रामीण भारत के देशव्यापी सर्वेक्षण में पता चला है कि 74 प्रतिशत ग्रामीण भारतीय इस विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से लड़ने के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट हैं और लगभग 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि उन्हें अपनी राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से भी संतोष है। गांव कनेक्शन ने सोमवार को सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की और बताया कि 30 मई से 16 जुलाई, 2020 के बीच हुए इस सर्वेक्षण में कुल 25,371 प्रतिभागियों का साक्षात्कार किया गया। उसके अनुसार सभी प्रतिभागी अपने-अपने घरों के प्रमुख कमाने वाले व्यक्ति थे, इस तरह यह सर्वेक्षण पुरुष प्रधान रहा तथा लगभग 80 प्रतिशत उत्तरदाता पुरुष ही रहे। हालांकि इसमें 20 फीसदी महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस सर्वेक्षण की रूपरेखा तैयार करने का काम और आंकड़ों का विश्लेषण नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) की लोकनीति-सीएसडीएस टीम द्वारा किया गया। सर्वेक्षण के अनुसार लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का समर्थन करने वालों में से 37 प्रतिशत ने कहा कि वे सरकार के काम से 'बहुत संतुष्ट' हैं, जबकि 37 प्रतिशत लोगों ने ही कहा कि वे केंद्र सरकार के कामकाज से 'कुछ हद तक संतुष्ट' हैं। कुल मिलाकर 74 प्रतिशत लोगों ने केंद्र सरकार के कामकाज से संतोष जताया है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
विजया VIJAYA | देना DENA

प्रधान कार्यालय: बड़ौदा हाउस, पोस्ट बॉक्स नं. 506, मांडवी, बड़ौदा - 390006
कार्पोरेट कार्यालय: सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई - 400 051

वित्तीय परिणाम
Q1 - वित्तीय वर्ष: 2020-21

उपलब्ध सेवाएं: गृह ऋण | कार ऋण | BARODA etrade 3-in-1 Bank, Demat & Trading Account | BARODA Wealth Management Services | BARODA M-CONNECT plus मोबाइल बैंकिंग ऐप | BARODA CONNECT इंटरनेट बैंकिंग

30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2020 समीक्षित	समाप्त वर्ष 31.03.2020 लेखापरीक्षित	समाप्त तिमाही 30.06.2019 समीक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	20312,44	86300,98	20860,90
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के पूर्व)	(1307,76)	(1802,11)	991,35
3.	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के पश्चात)	(1307,76)	(1802,11)	991,35
4.	अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ/ (हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के पश्चात)	(864,26)	546,18	709,87
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [जिसमें अवधि के लिए लाभ/ (हानि) (कर पश्चात) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल हैं]	टिप्पणी 2 देखें	टिप्पणी 2 देखें	टिप्पणी 2 देखें
6.	इक्विटी शेयर पूँजी	925,37	925,37	770,61
7.	आरक्षित निधियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र में दर्शाया गया है.	-	64851,33	-
8.	आय प्रति शेयर (₹ 2/- प्रत्येक) (जारी एवं समाप्त परिचालनों के लिए) बुनियादी और न्यून (₹ में)	(1.87)	1.36	2.04

30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2020 समीक्षित	समाप्त वर्ष 31.03.2020 लेखापरीक्षित	समाप्त तिमाही 30.06.2019 समीक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	21684,71	91086,03	22056,95
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के पूर्व)	(1044,86)	(1233,91)	1177,12
3.	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के पश्चात)	(1044,86)	(1233,91)	1177,12
4.	अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ/ (हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के पश्चात)	(678,71)	927,75	833,96
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [जिसमें अवधि के लिए लाभ/ (हानि) (कर पश्चात) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल हैं]	टिप्पणी 2 देखें	टिप्पणी 2 देखें	टिप्पणी 2 देखें
6.	इक्विटी शेयर पूँजी	925,37	925,37	770,61
7.	आरक्षित निधियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र में दर्शाया गया है.	-	69059,61	-
8.	आय प्रति शेयर (₹ 2/- प्रत्येक) (जारी एवं समाप्त परिचालनों के लिए) बुनियादी और न्यून (₹ में)	(1.47)	2.32	2.39

नोट :

1) उपर्युक्त, सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त रूप है. तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों **www.bseindia.com, www.nseindia.com** तथा बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in** पर उपलब्ध है.

2) कुल व्यापक आय एवं अन्य व्यापक आय से संबंधित जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि इंड एएस को अभी बैंक के लिए लागू नहीं किया गया है.

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10.08.2020

विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यपालक निदेशक
शांति लाल जैन, कार्यपालक निदेशक
मुरली रामस्वामी, कार्यपालक निदेशक
संजीव चड्ढा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी